तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयसिंह पुत्र किशनसिंह गाम लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली 306302 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण प्रथम सूचना अपील संख्या :– 51 / 2021 जीसीएमएस नं. :– 2021 / 150 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

04.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 27.04.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण ने जरिये पत्रांक / भू.अ. / सू.अ. / 2021 / 2439 दिनांक 26.7.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक / भू.अ. / सू.अ. / 2021 / 1201 दिनांक 31.5.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। तथा उक्त पत्र की मूल प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित करते हुए अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी ने इस न्यायालय को दिनांक 10.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के जरिये अवगत कराया कि उनके नाम पंजीकृत बेचान किया गया। दिनांक 17.03.2020 को पटवारी द्वारा उक्त पंजीयन पर स्थगन आदेश बताकर रोक लगा दी गई। उक्त स्थगन आदेश की प्रति चाही गई थी जो आदिनांक प्राप्त नहीं हुई है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा तहसीलदार जैतारण को अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित आदेश की प्रति उपलब्ध करावे।

6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली